

## नॉन मीट प्रोडक्ट्स में हलाल सर्टिफिकेशन

**स्रोत: लाइव मटि**

सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका के जवाब में **सॉलिसिटर जनरल ने सीमेंट, लोहे की छड़, गेहूँ का आटा और बेसन जैसे मांस-रहित (नॉन मीट प्रोडक्ट्स) उत्पादों के लिये हलाल सर्टिफिकेशन (प्रमाणीकरण) का वरिध कया।**

- हलाल सर्टिफिकेशन पर विवाद है कयिह **हलाल मानकों का पालन** न करने वाले व्यवसायों को **नुकसान पहुँचाता है तथा अनुचित प्रतस्पर्द्धा** को बढ़ावा देता है।
  - जनि व्यवसायों पर **जाली हलाल सर्टिफिकेशन** जारी करने का आरोप है, उन्होंने बकिरी बढ़ाने के लिये धार्मिक भावनाओं का लाभ उठाया, सामाजिक असंतोष तथा जनता के विश्वास का उल्लंघन कया है।
- **हलाल:** हलाल एक **अरबी शब्द** है जिसका अंगरेजी में अर्थ Permissible (अनुमेय) होता है।
  - FAO हलाल भोजन को उस भोजन के रूप में परिभाषित करता है जिसकी **इस्लामी कानून** के तहत अनुमति है।
  - हलाल सर्टिफिकेशन इस बात की गारंटी है कि **भोजन इस्लामी कानून** के अनुसार तैयार कया गया है तथा उसमें कोई मलावट नहीं है।
  - भारत में **राष्ट्रीय हलाल प्रमाणन प्रणाली का अभाव है, हालाँकि i-CAS (भारतीय अनुरूपता मूल्यांकन योजना)** के माध्यम से मांस उत्पादों के लिये प्रमाणन को कारगर बनाने के प्रयास चल रहे हैं।
    - i-CAS मांस और मांस उत्पादों के लिये **हलाल सर्टिफिकेशन (प्रमाणीकरण) को सुव्यवस्थित करता है।**
    - **DGFT दशा-निर्देशों** के अनुसार, **मांस और उसके उत्पादों को 'हलाल सर्टिफिकेशन' के रूप में त भी निर्यात कया जा सकता है, जब उनका उत्पादन, प्रसंस्करण और पैकेजिंग किसी मान्यता प्राप्त निकाय से वैध प्रमाण-पत्र के साथ की गई हो।**
- **सॉलिसिटर जनरल:** सॉलिसिटर जनरल **अटॉरनी जनरल** के बाद सरकार के **दूसरे सबसे वरिध वधि अधिकारी** हैं।

और पढ़ें: [CLEA - कॉमनवेल्थ अटॉरनी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस, 2024](#)